रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

सा.का.नि. 479(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो निगरानी सहायक (समूह–ग पद) भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में निगरानी सहायक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (निगरानी सहायक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल :—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि :—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निगरानी सहायक	60*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	लेवल—4 रु. 25500—81100	लागू नहीं होता ।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण** 1— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—क मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स या संचार या दूरसंचार इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** : ऐसे हवलदार, जिन्होंने उस श्रेणी में 21700–69100 रू. के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 में पॉच वर्ष की नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान) में 10+2 उत्तीर्ण हों। **टिप्पण 1** : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी अथवा पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के परिप्रेक्ष्य में तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी की ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहॉ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तक जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन** : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के ऐसे अधिकारीः– **(क)** **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित सेवा पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्ष का अनुभव है ; या **(ii)** जिन्होंने 21700–69100 रू. के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 या समकक्ष में मूल काडर या विभाग में पॉच वर्ष की नियमित सेवा की है और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में पॉच वर्ष का अनुभव है, और **(ख)** जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान (गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान) में 10+2 उत्तीर्ण हों। **टिप्पण–1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण–2** : प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य	लागू नहीं होता ।

(3) अधीक्षक – सदस्य 2. **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित शामिल होंगे :–** (1) उप निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य (3) अधीक्षक – सदस्य	

[फा. सं. I–12014/39/2017–एन सी बी–II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(NARCOTICS CONTROL BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

G.S.R. 479(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau Surveillance Assistant (Group 'C') post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Surveillance Assistant in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Surveillance Assistant) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surveillance Assistant	60*(2018) * Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 Rs.25500-81100	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for the Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba Distt. of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep.	Three years diploma or degree in Electronics or Communication or Telecommunication Engineering or Computer Science or Information Technology from a recognised Institute or University.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	60 per cent. by direct recruitment; 20 per cent. by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment; 20 per cent. by deputation or absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(11)
Promotion: Havaldars with five years' regular service in level 3 in the pay matrix Rs.21700-69100 in the grade and possess 10+2 pass in Science (Mathematics, Physics and Chemistry) from a recognised board or University. **Note1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the qualifying service in the respective grade or post. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation or absorption:

Officials of the Central Government or State Government or Union territories administration,-

(a) (i) holding analogous post on regular service in the parent cadre or department with three years experience in communication or information technology; or

(ii) with five year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-3 in the pay matrix Rs. 21700-69100 or equivalent, in the parent cadre or department and with five years experience in communication or information technology; and

(b) possessing the 10 + 2 pass in science (Mathematics, Physics, and Chemistry) from a recognized board or University.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or the department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau -Chairperson (2) Assistant Director (Administration), Narcotics Control Bureau - Member; and (3) Superintendent - Member **2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Deputy Director (Administration), Narcotics Control Bureau -Chairperson (2) Assistant Director (Administration), Narcotics Control Bureau - Member; and (3) Superintendent -Member	Not applicable.

[F. No. I-12014/39/2017-NCB-II]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.28 12:59:49 +05'30'